प्रेस नोट
साइबर सेल थाना मोंठ, जनपद झाँसी

दिनांक : 14.07.2026

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा साइबर अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही,**
- **साइबर सेल थाना मोंठ पुलिस द्वारा साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि के लेन-देन में प्रयुक्त खातों के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बी.बी.जी.टी.एस. मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सेल थाना मोंठ पुलिस द्वारा थाना मोंठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 115/2026, धारा 112(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र कालीचरण निवासी ग्राम पांडरी, थाना मोंठ, जनपद झाँसी को दिनांक 14.07.2026 को साइबर मोंठ बाईपास, थाना मोंठ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण</u>:-

दिनांक 08.07.2026 को उ0नि0 रजनीकान्त, प्रभारी साइबर सेल थाना मोंठ द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण राकेश कुमार पुत्र कालीचरण एवं मनोज कुमार पुत्र वीर सिंह, निवासीगण ग्राम पांडरी, थाना मोंठ, जनपद झाँसी द्वारा साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त अपराध की आय को प्राप्त करने, स्थानांतरित करने तथा ठगी गई धनराशि के लेन-देन हेतु अपने बैंक खातों का जानबूझकर उपयोग किया जा रहा है।

प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मोंठ पर मु0अ0सं0 115/2026 धारा 112(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 मकरन्द सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 14.07.2026 को थाना मोंठ पुलिस द्वारा मुकदमे में नामित अभियुक्त राकेश कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अन्य आवश्यक विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>जनहित में अपील</u>:-

आमजन से अपील की गई है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति के साथ ओटीपी, यूपीआई पिन, बैंक खाता विवरण अथवा अन्य गोपनीय वित्तीय जानकारी साझा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराएं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1. राकेश कुमार पुत्र कालीचरण, निवासी ग्राम पांडरी, थाना मोंठ, जनपद झाँसी उम्र करीब 25 वर्ष

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 रजनीकान्त, थाना मोंठ, जनपद झाँसी।
2. उ0नि0 मकरन्द सिंह, थाना मोंठ, जनपद झाँसी।
3. हे0का0 419 दीप तिवारी।
4. का0 337 राहुल यादव।